REGISTERED No. D. 221

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART I—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 205] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 1962/AGRAHAYANA 8, 1884

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

RESOLUTION

New Delhi, the 29th November 1962

No. 32(44)-TMP/FMC/62—In the Ministry of Commerce and Consumer Industries Resolution No. 40-Exp (12)/56, dated the 10th December, 1956, on the Report of the Forward Markets Commission on the Recognition of Associations in respect of Forward Contracts in Copper, Zinc, Lead and Tin, the Government of India decided that section 15 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, would be applied to copper, zinc, lead and tin throughout the country and that the Bombay Metal Exchange Ltd., Bombay, be granted recognition under Section 6 of the Act for conducting forward trading in the said metals throughout the country for a period of three years

2 Government have since reviewed the position and decided that section 17 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, should be applied immediately to copper, zinc, lead and tin throughout the country

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India

C. S RAMACHANDRAN, Jt Secy

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1962

सं० 32(44)-टी-एम-पी०/एफ-एम-सी०/62—ताबे, जस्ते, सीसे और टीन की आगामी संविदाओं के बारे में संथाओं को अभिज्ञात करने की बाबत आगामी संविदा आयोग के प्रतिवेदन पर वाणिज्य तथा उपभोक्ता उद्योग मंत्रालय सकल्प सख्या 40 ई-एक्स-पी०-(12)/56, तारीख 10 दिसम्बर, 1956 में, भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया था कि आगामी संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 की धारा 15 ताबे, जस्ते, सीसे और टीन पर सारे देश मे लागू की जायेगी और बम्बई मेटल एक्सचेज लि०, बम्बई को तीन वर्ष की कालावधि के लिए उक्त धातुओं का सारे देश में आगामी व्यापार संचालन के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन अभिज्ञात किया जाये।

2. सरकार ने तब से स्थिति का पुनर्विलोकन किया है और यह विनिश्चय किया है कि आगामी संविदा (विनियम) अधिनियम, 1952 की धारा 17 को तांबे, जस्ते, सीसे और टीन पर देश भर में अविलम्ब लागू किया जाना चाहिये ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं को दे दी जाये और इसे भारत के गजट में प्रकाशित कर दिया जाये ।

सी० एस० रामचन्द्रन्,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1962